भास्कर 09/05/23

कार्यालय नगर पालिक निगम, जबलपुर

क्रमांक-अधी.यंत्री/का.सेल/2023-24/पी.आर.ओ.-82 **सार्वजनिक सूचना** दिनांक, 08.05.2023

(म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23(7) के अंतर्गत)

नगर पालिक निगम जबलपुर के सीमा क्षेत्र में विद्यमान ऐसी अनाधिकृत कालोनियों में नागरिक अधोसंरचना प्रदान किये जाने के उद्देश्य से निम्न कालोनियों में मध्यप्रदेा नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23 (2) के तहत प्रारंभिक सार्वजनिक सूचना उक्त वर्णित कालोनी के कॉलम में दर्शाये समाचार पत्रों में दर्शित तिथि को प्रकाशित कराई गई थी। प्रकाशित सूचना में निर्दिष्ट अवधि में किसी भी आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए है :-

क्रमांक	मौजा/ग्राम	खसरा नं.	विकास शुल्क की राशि	प्रारंभिक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक
1.	गोहलपुर	167 कुल रकबा 4112.86 वर्गमीटर	29/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	नई दुनिया, हरि भूमि, हिन्दी एक्सप्रेस दिनांक 19.04.2023
2.	गोहलपुर	168 कुल रकबा 16550.00 वर्गमीटर	38/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	पत्रिका, जबलपुर एक्सप्रेस, दोस्त सावधान दिनांक 19.04.2023
3.	गोहलपुर	165/2 कुल रकबा 13339.30 वर्गमीटर	29/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	दैनिक भास्कर, नवभारत, भिंडनाईट दिनांक 19.04.2023
4.	गढ़ा	213, 214, 216, 217, 275, 276, 277, एवं 278 रकबा 10890 वर्गमीटर	29/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	दैनिक भास्कर, देशबन्धु, जयलोक दिनांक 20.04.2023
5.	ग्वारीघाट	19/2 रकबा 2450 वर्गमीटर	182-50/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	नई दुनिया, पीपुल्स समाचार, दोस्त सावधान दिनांक 20.04.2023

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23 (7) में वर्णित प्रावधानों के तहत् उक्त कालोनी के भूखण्ड स्वामी भवन अनुज्ञा, जल संयोजन तथा विद्युत संयोजन के लिये पात्र होंगे।

अपर आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर

नव भारत 09/05/23

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर

क्रमांक- अधी.यंत्री./का.सेल./2023-24/ PRO-82 **सार्वजनिक- सूचना** दिनांक 08/05/2023

(म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23 (7) के अंतर्गत)

नगर पालिक निगम जबलपुर के सीमा क्षेत्र में विद्यमान ऐसी अनाधिकृत कालोनियों में नागरिक अधोसंरचना प्रदान किये जाने के उद्देश्य से निम्न कालोनियों में मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23(2) के तहत् प्रारंभिक सार्वजनिक सूचना उक्त वर्णित कालोनी के कॉलम में दर्शाये समाचार पत्रों में दर्शित तिथि को प्रकाशित कराई गई थी। प्रकाशित सूचना में निर्दिष्ट अवधि में किसी भी आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये है-

क्रमांक	मौजा/ग्राम	खसरा नं.	विकास शुल्क की राशि	प्रारंभिक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक
1.	गोहलपुर	167 कुल रकबा 411286 वर्गमीटर	29/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	नई दुनिया, हरि भूमि, हिन्दी एक्सप्रेस दिनांक 19/04/2023
2.	गोहलपुर	168 कुल रकबा 16550.00 वर्गमीटर	38/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	पात्रिका, जबलपुर एक्सप्रेस, दोस्त सावधान 19/04/2023
3.	गोहलपुर	165/2रकबा 13339.30 वर्गमीटर	29/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	दैनिक भास्कर, नवभारत, भिंडनाईड 19/04/2023
4.	गढ़ा	213, 214, 216, 217, 275, 2776, 277 एवं 278 रकबा 10890 वर्गमीटर	29/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	दैनिक भास्कर, देशबन्धु, जयलोक 20/04/2023
5.	गोहलपुर	19/2 रकबा 2450 वर्गमीटर	182-50/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	नई दुनिया, पीपुल्स समाचार, दोस्त सावधान 20/04/2023

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियग 23(7) में वर्णित प्रावधानों के तहत उक्त कालोनी के भूखण्ड स्वामी भवन अनुज्ञा, जल संयोजन तथा विद्युत संयोजन के लिये पात्र होंगे।

अपर आयुक्त नगर निगम जबलपुर

हिन्दी एक्सप्रेस - 09/05/2023

10/05/23

कार्यालय नगर पालिक निगम, जबलपुर

क्रमांक-अधी.यंत्री/का.सेल/2023-24/पी.आर.ओ.-82 **सार्वजनिक सूचना** दिनांक, 08.05.2023

(म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23(7) के अंतर्गत)

नगर पालिक निगम जबलपुर के सीमा क्षेत्र में विद्यमान ऐसी अनाधिकृत कालोनियों में नागरिक अधोसंरचना प्रदान किये जाने के उद्देश्य से निम्न कालोनियों में मध्यप्रदेा नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23 (2) के तहत प्रारंभिक सार्वजनिक सूचना उक्त वर्णित कालोनी के कॉलम में दर्शाये समाचार पत्रों में दर्शित तिथि को प्रकाशित कराई गई थी। प्रकाशित सूचना में निर्दिष्ट अवधि में किसी भी आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए है :-

क्रमांक	मौजा/ग्राम	खसरा नं.	विकास शुल्क की राशि	प्रारंभिक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक
1.	गोहलपुर	167 कुल रकबा 4112.86 वर्गमीटर	29/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	नई दुनिया, हरि भूमि, हिन्दी एक्सप्रेस दिनांक 19.04.2023
2.	गोहलपुर	168 कुल रकबा 16550.00 वर्गमीटर	38/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	पत्रिका, जबलपुर एक्सप्रेस, दोस्त सावधान दिनांक 19.04.2023
3.	गोहलपुर	165/2 कुल रकबा 13339.30 वर्गमीटर	29/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	दैनिक भास्कर, नवभारत, भिंडनाईट दिनांक 19.04.2023
4.	गढ़ा	213, 214, 216, 217, 275, 276, 277, एवं 278 रकबा 10890 वर्गमीटर	29/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	दैनिक भास्कर, देशबन्धु, जयलोक दिनांक 20.04.2023
5.	ग्वारीघाट	19/2 रकबा 2450 वर्गमीटर	182-50/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	नई दुनिया, पीपुल्स समाचार, दोस्त सावधान दिनांक 20.04.2023

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23 (7) में वर्णित प्रावधानों के तहत् उक्त कालोनी के भूखण्ड स्वामी भवन अनुज्ञा, जल संयोजन तथा विद्युत संयोजन के लिये पात्र होंगे।

अपर आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर